प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश यादव पुत्र श्री हुज्जू उर्फ राम कुमार यादव निवासी जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33908/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-15.09.2017 दिनांक 18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश यादव पुत्र श्री हुज्जू उर्फ राम कुमार यादव, जो सहेवा, थाना-गिरवॉ, जनपद-बांदा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज न मिलने के कारण दिनांक 17/18.07.2008 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डबल बैरल बन्दूक से गोली मारकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-41/2009 में भा0द0वि0 की धारा- 304बी, 498ए, 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0'1), बांदा के आदेश दिनांक 07.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.04.2017 तक 08 वर्ष 08 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 05 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त दोषमुक्त व 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो गयी है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति तथा आयु के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दिनेश यादव (बन्दी सं0-611/13) पुत्र श्री हुज्जू उर्फ राम कुमार यादव निवासी जनपद-बांदा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2018/2434(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in